

UPMT010017452026



न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-822/2026

उपस्थित-राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा

विजय पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या-498/2025, धारा-317(2), 305(C) बी०एन०एस०, थाना-जीआरपी, जिला-मथुरा के अभियुक्त **विजय पाठक** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रस्तुत अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा रजनीश पटेल द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर की गयी कि दिनांक-02.11.2025 को ट्रेन नं०-12416 नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच एस-2 बर्थ नं०-33 पर रेलवे स्टेशन मथुरा से इंदौर की यात्रा के लिये रेलवे स्टेशन मथुरा पहुंचा था। प्लेटफार्म पर भीड़-भाड़ होने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेन में चढ़ते समय चोरी कर लिया गया। यात्रा समाप्त होने पर वह रिपोर्ट करने थाना जी०आर०पी० इंदौर पर आया। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध उक्त मामला पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः कथन किए गए हैं कि, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। उक्त घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त मथुरा, वृन्दावन दर्शन करने आया था। दर्शन करके वापस अपने घर ट्रेन से जा रहा था। सह यात्री से टिकट लेने के ऊपर वाद-विवाद हो गया था इसी को लेकर जी०आर०पी० पुलिस ने प्रार्थी को रेलवे स्टेशन से पकड़ कर झूठा फंसा दिया। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है तथा अभियुक्त पूर्व में नामजद व सजायाफ्ता नहीं है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक-11.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर वादी मुकदमा का मोबाइल फोन चोरी करने तथा उक्त चोरी का मोबाइल फोन अभियुक्त के कब्जे से बरामद होने का आरोप है। उक्त घटना की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन की ओर से

अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक- 11.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/-रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय-

- क- आवेदक/अभियुक्त किसी अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,
- ख- आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,
- ग- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,
- घ- आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,
- ङ- आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक-11.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)

ID No. UP 6052

अपर सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या-01, मथुरा।